

May 1967  
317

राजस्थान



सत्यमेव जयते  
विशेषांक

राज-पत्र

3/7/67  
free tak.  
li. 25 pm  
317

Rajasthan Gazette

EXTRAORDINARY

[आधिकार प्रकाशित]

[Published by Authority]

आषाढ 10, शनिवार, शक सम्वत् 1889--जुलाई 1, 1967

Asadha 10, Saturday, Shak Samvat 1889—July 1, 1967

भाग 4 (ग)

राजस्थान पर लागू होने वाले अधिनियमों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा या किसी अन्य अधिकारी द्वारा अपनी सहज शक्तियों के प्रयोग में बनावे गये कानूनी नियम, अधिनियम और आज्ञाएं

**PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARTMENT  
NOTIFICATION**

Jaipur, July 1, 1967.

No. F. 4 (97) MPH/64.—The Government are pleased to issue the following rules for Water Supply in Rajasthan:—

1. Short title and extent.—(a) These rules may be called "The Rajasthan Water Supply Rules."

(b) They extend to the whole of the State of Rajasthan.

(c) They are issued in supersession of all the existing unit rules.

2. Definitions.—(a) The Government shall mean the Government of Rajasthan.

(b) The Chief Engineer shall mean the Chief Engineer, Public Health Engineering Department.

(c) The Superintending Engineer, shall mean the Superintending Engineer, Health of the Division concerned.

(d) The Executive Engineer, shall mean the Engineer I/C of the Division and Assistant Engineer I/C of the P.H.E. Sub-Division.

(e) The Overseer shall mean the Officer working under the Assistant Engineer, in the P.H.E. Sub-Division.

(f) The contractor shall mean the Licensed plumber or a contractor enlisted in the Division as per rules.

(g) Department shall mean the Water Works Department (Public Health Engineering Department).

(h) Consumer shall mean all individuals, private concerns or Public institutions, local bodies, Government Departments or all those who purchase water through Water Works mains under the foregoing rules.

3. **Public Supply.**—Whoever bathes or washes clothes or other articles at a public stand post or tempers with or damages a public stand post draws or attempts to draw water from a public stand post except by the proper method or wilfully wastes water from a public stand post shall be liable to pay damages assessed by the Executive Engineer, Water Works concerned.

(2) No person shall commence to draw or cause or permit to draw through his servants or labour, water from a public stand post for the construction of a building unless he has obtained a written permission from the department in Form W. 1. The permit shall be kept by the holder thereof at the place where water is being used for the aforesaid purpose and it shall be open to inspection by such officers of the department as may be authorised by the Executive Engineer in this behalf. Without the written permission of the department no water shall be drawn for the aforesaid purpose beyond the date given in the permit. Any person wishing to draw water from a public stand post for building purposes or for consolidation of roads shall make an application in form W. 2 appended to these Rules to be obtained from the Water Works Department (See Article 17). Alongwith the application in form W. 2 he shall also submit a plan showing the building proposed to be constructed to enable the department to calculate the cubical content of the building for which water is proposed to be drawn. The portion of the building to be built or re-built, shall be marked on the plan in red. All persons unless the department thinks fit to exempt any one by an order in writing shall deposit by way of security with the application a sum of Rs. 50/-. He shall also be liable to deposit on demand such additional security up to Rs. 250/- which may be determined by the Department in each case, after taking into consideration the size of the building and the total estimated demand for water charges. Water charges for water drawn for such purposes shall be payable by all such persons within seven days of the receipt of the bill in accordance with the rates fixed by the Department from time to time under rule 14 and 15 of these rules.

a v  
met  
chan

(3) Whoever, without the written permission of the department draws or uses or causes or permits to draw through his servants or labour water from a public stand post for other than domestic purposes shall be liable for the amount for which he would have been liable had he obtained permission for such use of water from a public stand post.

A supply of Water for domestic purpose shall not be deemed to include a supply—

- (a) for animals or for washing vehicles when such animals or vehicles are kept for sale or hire;
- (b) for any trade, manufacture or business;
- (c) for fountains, swimming baths or for any ornamental or mechanical purposes;
- (d) for gardens or for purposes of irrigation;
- (e) for watering roads or paths;
- (f) for building purposes.

#### PART II.—Private Supply.

(4) No connection with the Water Works mains for a private water supply, and no alteration or extension of any such existing connection shall be made in any private premises except on the application of the owner of such premises or of his recognised agent, who shall be registered as the consumer and shall be responsible for the observance of the Rules so far as the connections on his property are concerned. Provided that the Department may, if it thinks fit itself alter the position of any existing connections.

**Note.**—Such connections shall be for domestic purposes only, but the Department may permit them to be used for other purposes on such conditions as it may fix.

(5) Every application for a connection with the mains for a private water supply, or for the alteration or extension of any such existing connection shall be addressed to the Assistant Engineer in charge and shall be made on a printed form to be obtained from the department (See Rule 8).

(6) New connections shall be sanctioned or refused by an Officer so authorised by the Superintending Engineer, extensions and alterations to existing connections shall also be allowed or disallowed by the authority.

(7) The department on its discretion may allow or disallow a water connection or cause any water connection so given to be metered or any meter so fixed to be removed at any time. Before changing the method of supply the department shall give the owner

or consumer a notice of not less than a fortnight. In case a metered connection is given for the first time the owner or consumer shall forthwith deposit a cash security amounting to twenty-five rupees in respect of each meter provided by the department for his premises before the supply of water can be allowed.

(8) Procedure for giving connection.—Any person, which also includes a corporate body, being owner of the premises may apply to the Assistant/Executive Engineer, Water Works concerned for supply of water for purpose to be specified in the application which shall be on a prescribed form obtainable on payment of Re. 1/- only either from the Executive Engineer's office or from the Assistant Engineer, Water Works concerned, Sub-Divisions.

(9) In case the applicant is not the owner of premises in which he requires a water connection and is a tenant in the said building or land, he should get the application endorsed by the owner of the premises giving "No objection" certificate for the water connection in the names of the tenant. The tenant then shall be required to furnish a deposit as detailed below which will be refunded to him when he leaves the premises without any arrears pertaining to water supply against him.

Rs. 50/- for  $\frac{1}{2}$ " Water Connection.

Rs. 75/- for  $\frac{3}{4}$ " Water Connection.

Rs. 100/- for 1" and above.

Rs. 200/- for commercial concerns viz., hotel, cinemas etc.

(10) Applications for new connections shall be forwarded by the Assistant Engineer, Water Works concerned to the Officer concerned (as per rule 6) whose decision as to whether the connections shall be sanctioned or not shall be final.

(11) After sanction to the proposed connection, applicant will be informed by letter and shall within 15 days deposit with the Executive Engineer, concerned an amount of Rs. 10/- as connection fee. The cost of Meter Box and ferrule fixed by the Department from time to time will also have to be deposited by him alongwith the connections fee in case he cannot procure his own Meter Box and ferrule as per departmental specification.

(12) The applicant shall have to make his own arrangement for pipe fittings at his own cost.

(13) (i) It will be the sole responsibility of the consumer for the maintenance of the service line from the Water Works main or sub-main. But its maintenance (repairs and replacement) will have to be carried out through the Water Works Department and charges shall have to be borne by the consumer. If the consumer fails to

deposit the cost of maintenance, repair or replacement his connection will be liable to be cut off after a due notice and amount so incurred will be recovered as per P.D.R. Act, 1952.

(ii) Installation and extension of pipe line beyond the Meter and inside the premises shall be carried out by the applicant through a licenced plumber or approved contractor of the Water Works Department but the same will be open to inspection by technical representative of the department as and when desired and directed by the Department.

(iii) The consumer shall not connect with his pipe line any cistern of receptable used for the storage of rains or well water or other water from the Water Works mains and no supply shall directly be connected to any water closet, urinal, steam boiler or any hot water system or any apparatus used for heating or trade purposes or any close vessel otherwise than through the supply cistern thereof; or any mechanical equipment like pumps etc. (See rule 36).

(14) The connection will not be made until the full amount is paid and all the necessary formalities are completed and the licensed plumber or the approved contractor of Water Works has submitted the form W. 3.

(15) Before the estimated cost for providing the connection is deposited, the applicant will also have to produce the permission of the local Municipal authority or the Urban Improvement Trust as the case may be in case there is no pucca arrangement for disposal of waste water. If there is paving of pucca road which would require dismantling, the applicant would have to deposit necessary charges which will be provided in the estimate.

(16) **Metered connections.**—(i) All meters and other apparatus pertaining thereto and incidental to the supply of water to any building or land shall except as otherwise provided in these rules and so far as may be supplied, repaired, extended, shifted or altered as may be considered necessary by the department at the expense of the owner or the consumer as the case may be but shall be under the control of the Department.

(ii) For metered connections, the meter shall ordinarily be supplied by the Water Works Department. But it is not obligatory. A consumer may however be permitted to have his own meter subject to the following conditions:—

(a) The meter must be of a type approved by the Department and in proper working order.

(b) It shall be fixed after being tested by the Water Works Department at the expenses of the consumer.

(c) A fee of Rs. 5/- will be charged for testing the meter.

(d) No meter, whether owned by the consumer shall be tampered with in any way.

(e) Consumer shall be solely responsible for the safety of the meter, if meter is tampered with, stolen or lost from the site, the consumer shall have to get it repaired or replaced as the case may be, at his own cost failing which connection is liable to be disconnected and recovery be made from him under the Public Demand Recovery Act, 1952.

(f) If meter seal is broken it will be replaced at a cost of Re. 1/- in the first instance and it "if the Executive Engineer, is satisfied that breaking of the seal was with bad intention" the consumer is liable to pay for damages subject to maximum of Rs. 50/-.

(17) **Water Charges.**—The charges will be levied as per rates fixed by the Water Works Department from time to time. Rebate fixed in the schedule shall be allowed if payment is made within due date indicated on each water supply Bill.

(18) In addition to the charges specified in rule 17 there shall be following charges:—

**Meter Rent.**—In the case of meters owned by the Department a meter rent shall be charged at the rates fixed by the Department from time to time. These charges shall include the cost of all alteration, repairs and renewal.

(19) (i) The registered consumer in respect of any metered connection may challenge the correctness of meter on payment of a fee of Rs. 5/-. If on examination the meter is found to record 5 per cent less or more than the actual consumption the fee shall be returned. In case if it is found as a result of a test that there was no defect in the meter the deposit shall be forfeited.

(ii) The charges for meter rent shall be paid for any period during which the connection remains open even if the meter fails correctly to record amount of water consumed.

(20) **Unmetered Connections.**—Whenever in any house to which an unmetered connection has been fitted any operation in the nature of building or rebuilding is to be undertaken by the owner, the registered consumer or other person responsible for such operations shall before the building operations are commenced, make an application to the Department, in form No. W. 2 for permission to use water for building purposes and no water shall be used for such purposes unless sanction in Form W. 1 appended to these Rules has been obtained. The permit shall be kept by the holder thereof at the place when water is used for the aforesaid purpose and shall be open to inspection by such officers of the Department as may be authorised by the Department in this behalf.

Without the written permission of the Department no water shall be drawn for the aforesaid purpose beyond the date given in the permit. Along with the application in form W. 2 he shall also submit a plan showing the building proposed to be constructed to enable the department to calculate the cubical contents of the buildings. All such persons unless the Department thinks fit to exempt any one by an order in writing shall deposit by way of security a sum of Rs. 50/-. He shall also be liable to deposit an additional security deposit up to Rs. 250/- according to the size of the building and estimated demand for water charges. It will be on the discretion of the Department to meter the connection and make charges on the basis of the actual consumption in accordance with the rates in force from time to time for metered connections for domestic supply or not to meter the connection in which case water charges for water drawn for building purposes shall be payable in accordance with rates fixed by the Department from time to time under rules 17 and 18 with the sanction of the Superintending Engineer. All the demands of the Department referred to in this rule shall be payable within 15 days of the receipt of the bill. If any of the provision of this rule is violated or is not fulfilled the water connection will be liable to be cut off and will be reopened only on payment of reconnection fee of Rs. 10/-.

(21) (1) No fountain or cistern shall be connected with any unmetered connection except with the written permission of the Department.

(ii) A special rate shall be fixed by the Department for such fountain or cistern.

(22) **Calculation and payment of Charges:**— (1) For the purpose of calculating the charges detailed in rules (17) and (18) 15 days or less shall be considered as half a month and over 15 days but less than one month as one month.

(2) Ordinarily the consumption through a water meter is prima facie record for all purposes.

(a) But in case meter is reported to be or is out of order or under repairs or is not repairable due to non-availability of spare parts, the water consumption shall be computed on any one or more of the following basis:—

(1) On actual consumption recorded by the meter if the same is found on test to register less than 5% slow or fast.

(ii) On the average of the immediately preceding month and/or an average of preceding 3 months.

(iii) On the consumption of the corresponding period of the previous year.

(iv) On such reliable date as may be considered reasonable by the Executive Engineer, Water Works Department.

(b) For the purpose of these rules a meter shall be deemed to be out of order.

(i) If on testing it is found to be registering more than 5% slow or fast.

(ii) If it is on inspection found to have been tampered or damaged.

(iii) If it has stopped or failed to register consumption of water drawn through it.

(c) If a private meter is suspected to be working slow or out of order, the same shall be removed and tested by the Department and if found correct it shall be sealed and refixed at departments cost; but if found out of order the owner of such meter shall arrange to get it repaired within a month and get it tested by this department on payment of testing fee of Rs. 5/-. The cost of spare parts, etc. will have to be paid by the consumer in advance if the meter could be repaired by this department.

(23) The registered consumer of any connection shall be bound to pay all charges made under these rules, but if in the course of any quarter a meter shall have been examined and found to be registering in excess of five percent, the consumer shall be entitled to have the charges made to him for excess consumption reduced proportionately for the period from the first day of that quarter to the date in which the meter was examined.

If in any quarter the meter of any connection ceases to register, the Department shall be entitled to charge for the quarter an amount for excess consumption not exceeding the average of the past three quarters of full usage.

#### WATER SUPPLY BILLS

(24) (a) A bill for the water consumption charges and the meter rent will be sent to each consumer every month in accordance with the rates as may be prescribed by the Government from time to time.

(b) The dates of payment will be spread over the month and preparation delivery of the bills will be so arranged that all bills for water will be delivered to consumers by the 14th day of each month and must be paid within 15 days of the issue of the bill. If payment of the bill is not made by the specified date the consumer would lose the advantage of rebate and will have to pay normal rate given in the bill.

(c) The excuse of bill not having been received will not be entertained.



(d) Consumers should always quote bill No. while communicating with the office.

(e) In case of dispute, the bill must be paid in full under protest within time to avail of rebate. Any excess charge admitted will be adjusted in the subsequent bills.

(f) If for some reasons the bill is amended, it can be paid within fifteen days from the date of presentation of the bill.

(25) In case the bill is lost a duplicate copy may be obtained from the office on payment of Re. 0.12 P. only. If bill is sent by post an extra charge of Re. 0.15 P. only will be made.

(26) The bill will be prepared in the name of the owner of the connection and will be delivered at the site where the connection exists. Exception may be made under special circumstances.

(27) All outstandings on account of any charges under these rules shall be realised by the Water Works Department as per public Demand Recovery Act, 1952.

(28) All complaints should be addressed to the Executive Engineer, concerned. An appeal against his order shall be to the Superintending Engineer, Health of the Division concerned.

#### TEMPORARY CONNECTIONS

(29) (a) Temporary water connections will be allowed for special occasions such as marriages, fairs, exhibition etc. for a limited period.

(b) Temporary water supply will also be metered.

(c) The meter rent will be charged as usual as from permanent consumer.

(d) The water charges will be recovered at one and half time of the normal rate in force.

(e) Necessary deposit of the estimated amount will have to be made in advance by the applicant as security to safeguard the Department dues and at the time of removing the temporary connection the expenditure will be adjusted accordingly.

(f) Temporary connections to seasonal piyaos, sabils, cattle troughs etc. will also be covered by these rules.

(30) Notwithstanding the provisions of rules (17), (18), (22), and (29) the Department may allow any water connection free for any public or any charitable purposes provided that if the person who is the registered consumer in respect of such free connection allows water to be washed or to be used for any purpose other than that for

which such free connection was granted, the Department may cancel the grant of that free connection.

#### GENERAL PROVISION AS TO PRIVATE CONNECTIONS

(31) No house shall be supplied with water from the service connection of any adjoining house or premises provided that a connection of over  $\frac{1}{4}$ " inch may be used by more than the house on application to the Department on terms to be fixed by the Department.

(32) No connection shall be granted unless drainage arrangements have been made for the disposal of waste water to the satisfaction of the Department, or Municipality.

(33) No portion of any private connection or of the pipe or main leading to it shall be tempered with in any way whatsoever whether for the purpose of repair alteration or any other purpose.

(34) Every registered consumer shall be bound immediately if he has knowledge of it, to report the Department any defect in his connection whereby water runs to waste.

(35) The Department shall affix at a suitable and easily accessible place in every house fitted with an unmetered water connection enamelled plate of the size of 3 inches, 2 inches with the number of water connection written on it. In case the plate is at any time, lost, broken or defaced its price, not exceeding Re. 1/- as may from time to time be fixed by Department shall be recoverable from registered consumer in the same manner as arrears of water rate.

(36) No pumps plants or devices would be allowed to be attached to his water supply system without obtaining previous sanction from the water Works Department.

#### CLOSING AND REOPENING OF PRIVATE CONNECTIONS

(37) Any registered consumer, who wished to close his connection, shall give fifteen days notice in writing to the Department after the expiry of which water rate shall not be charged.

(38) If any person other than the owner or the duly authorised agent of the owner of the premises in which a connection has been fitted wishes to have reopened or kept open a connection which would otherwise be closed, he shall execute an agreement undertaking the responsibilities of a registered consumer and shall have all the liabilities of a registered consumer. All such persons, unless the Department thinks fit to exempt them by an order in writing, shall deposit a sum of thirty rupees or more as may be determined by the Department for the due payment of water charges in addition to the ordinary charges which are payable in advance. The security shall be kept intact and shall not be set off against any money due from such

registered consumer until he shall have applied to have the connection closed, when it shall either be returned to him after the payment by him of all charges assessed under these rules or, after efforts to collect such charges by the Department have failed, used by the Department to liquidate the payment of charges and the cost of their collections.

(39) All applications to open or re-open a connection shall be in form W-4 and shall be accompanied by a fee of Rs. 10/- as opening fee together with all dues payable in advance.

(40) (I) Any connection may be cut off by order of the Department in the following cases:—

(a) for breach of any of the provisions of the foregoing rules.

(b) where through defect in a connection water is running to waste;

(c) where the use of a water tap causes premises to become insanitary in the opinion of a Sanitary official.

(d) where in the opinion of the Department adequate drainage arrangement have not been made for the disposal of waste water;

(e) in the case of a metered connection where meter requires repair;

(f) in case the owner or consumer refuses to pay the cash security as prescribed under rules 3 (2);

(II) In any case where a connection has been cut off in accordance with Rule (40) (i) (a) and (f) the Department may require payment of damages up to a maximum of Rs. 50/- which shall be paid before the connection is reopened.

(III) In any case where a connection has been cut off under rule 40 (i) (b) (c) (d) and (e) it shall not be reopened except on payment of a fee of Rs. 10/-.

#### GENERAL POWERS

(41) The department may from time to time regulate and limit the hours of water supply with reference to connections, localities, demand of public as far as possible and season of the year.

(42) The Department does not hold itself responsible for non-supply of Water caused by accident, such as failure of electric powers supply, leakage or bursting of the mains or these obstructions or low pressure in the mains in summer season or strike by labourers. The

Department retains the right to suspend water supply at any time and for as long a period as may be found necessary for repairs or for laying new lines etc.

### PLUMBING LICENCE

(43) A plumbing licence may be granted to a Contractor or trader dealing with pipe fittings etc.

(44) Applications for such licences should be sent to the Executive Engineer, concerned who will verify and ascertain the necessary requirements for the purpose.

(45) The firm or the trader must have a qualified technician (Overseer or Mistry) for carrying out the plumbing work and should produce a certificate to the department.

(46) The applicant must possess necessary tools and equipments for the purpose, such as dies, pipes, fittings wrenches etc.

(47) The applicant will have to produce Income Tax Clearance Certificate and also a certificate from the Bank clarifying his financial status.

(48) The applicant will have to pay a sum of Rs. 75/- as licence fee in the first instance for obtaining the licence. The amount will be deposited in Executive Engineer's office.

(49) The licence will have to be renewed every year in April and a sum of Rs. 20/- will have to be paid as renewal charges by the 15th April, failing which penalty shall be charged @10/- p.m. If the licence is not renewed before April next the licence will stand as cancelled and a fresh licence will have to be taken on payment of full licence fee.

(50) The licence holder will be responsible for the work done through him or his agency.

(51) Any harrassment caused to the consumers or applicant through him or his agency shall make him liable for cancellation of the licence.

(52) Any person who commits a breach of any of the provisions of these rules shall be liable to make payment of damages assessed by the Department.

के. एन. भार्गव,

Additional Secretary to Government.

## FORM W-1

Mr./Messrs \_\_\_\_\_ having paid Rs. \_\_\_\_\_ on account of security vide receipt No. \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_ and No. \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_ permission is hereby granted to draw water from public stand post No. \_\_\_\_\_ situated in \_\_\_\_\_ /from private unmetered water connection No. \_\_\_\_\_ affixed to house No. \_\_\_\_\_ situated in \_\_\_\_\_ for building/rebuilding in house No. \_\_\_\_\_ in street \_\_\_\_\_.

Period of permit.

From \_\_\_\_\_ TO \_\_\_\_\_

Executive Engineer,  
Water Works.

## FORM W-2

The Executive Engineer, Water Works,  
\_\_\_\_\_

Sir,

I beg to state that I intend to draw water from my unmetered/stand post No. .... Water Connection/situated near No. .... affixed house No. .... building/rebuilding in \_\_\_\_\_ street in area for building/rebuilding house No. \_\_\_\_\_.

A plan showing the building proposed to be built/rebuilt is enclosed. The portions to be built/rebuilt have been marked red.

The cubical contents of the building proposed to be built/rebuilt are \_\_\_\_\_ cft.

Rs. \_\_\_\_\_/- on account of security have been deposited in your office vide receipt No. \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_ additional security will be paid on demand by the Department.

The water will be drawn by me from \_\_\_\_\_ to \_\_\_\_\_ In case I require water after this date, I will make an application to the Department and obtain the permission in advance.

I agree to pay water charged according to the rates fixed by the Water Works Department from time to time within one week of the receipt of the bill from the Department.

Yours faithfully;  
Signature \_\_\_\_\_  
Address \_\_\_\_\_

Dated \_\_\_\_\_

## (TO BE FILLED BY THE ASSISTANT ENGINEER)

1. Cubical contents of the building to be built/rebuilt according to plan for purposes of assessment of water charges are \_\_\_\_\_ cft.

2. Meter is not available and will be provided against payment of Rs. \_\_\_\_\_ by the applicant.

3. Meter is not available, charges may be made on basis of cubical contents of the building.

4. The time required for carrying out the building work is approved/not approved. It should be upto \_\_\_\_\_ only.

(clause not applicable to be struck off).

Assistant Engineer.

## (TO BE FILLED IN EXECUTIVE ENGINEER'S OFFICE)

1. The applicant may be asked to deposit Rs. \_\_\_\_\_ for providing a meter.

2. Estimates demand for water charges calculated on the cubical contents comes to \_\_\_\_\_

3. Additional Security of Rs. \_\_\_\_\_ may be demanded.

SD/- Water Rate Supdt.

(Executive Engineer's Orders.)

FORM W-3

To  
The Executive Engineer,  
Water Works

I have carried out the installation work in the House/ premises belonging to Shri \_\_\_\_\_ which is taken on rent by Shri \_\_\_\_\_ and remit herewith the amount as detailed under:—

Estimated amount	Rs.
Connection Fee	Rs.
Security	Rs.

The details of installation carried out in the above premises are as follows:—

Taps	No.
Showers	Nos.
_____	Nos.

Kindly issue necessary order for connection.

Signature of the Plumber.

Address \_\_\_\_\_

### FORM W-1

To  
The Executive Engineer,  
Water Works

Sir,

I hereby apply to have connection No. \_\_\_\_\_ to the house No. \_\_\_\_\_ belonging to Shri \_\_\_\_\_ situated in Ward No. \_\_\_\_\_ Street \_\_\_\_\_ opened for \_\_\_\_\_

I undertake to pay for the said supply of water according to the rates now in force or that may be changed from time to time by Water Works Department.

I also agree to pay water charges in advance as long as the connection stands in my name and before ceasing to occupy the premises I shall give notice to the Department to have the connection cut off.

I also agree to comply with the provision of Water Supply rules.

Yours faithfully;

Signature of applicant. \_\_\_\_\_

Address \_\_\_\_\_

S/o \_\_\_\_\_ Caste \_\_\_\_\_

Dated. \_\_\_\_\_

(To be filled in by the Accountant)

Credited a sum of Rs. \_\_\_\_\_ on account of Water charges for the months ending \_\_\_\_\_ in advance, by receipt No. \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_

Accountant

Orders of the Executive Engineer

Open the connection.

Executive Engineer

for opening connection No. \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

Order No. \_\_\_\_\_  
issued on. \_\_\_\_\_

## FORM A

## APPLICATION FORM FOR WATER CONNECTION

From:

\_\_\_\_\_(Name in full)

\_\_\_\_\_(Address in full)

To

The Assistant/Executive Engineer, Water works\_\_\_\_\_

Dear Sir,

I request for a water connection to my premises. The full details are given below:—

- (a) Location of premises.
- (b) Purpose for which connection is required.
- (c) Size of pipe connection.

I agree to abide by all rules and regulations in connection with water supply that may be in force from time to time.

I further certify that I am the owner of the above premises and shall produce the necessary documents for verification on demand if necessary.

Yours faithfully,

Signature\_\_\_\_\_

Address\_\_\_\_\_

Dated.

## ESTIMATE FORM

Name of licenced plumber.....Service No.....

..... Meter No..... Size .....

Make.....Estimate No..... Dated the.....

Total Rs.....



There is drain arrangement for disposal of waste water.  
OVERSEER.

Approval of application.

AEN

Sanctioned against deposit

Amount deposited as per Cr. No.

Dated.....

EXECUTIVE ENGINEER

Drawn

Connection No.....given  
on dated.....

FILE.

EXECUTIVE ENGINEER.

ASSISTANT ENGINEER.

Executive Engineer

APPLICATION FORM FOR PLUMBING LICENCE

From:—

(Name and Address in full)

To,

The Executive Engineer,  
Water Works.

....

Dear Sir,

I/We request you kindly to grant me/us plumbing licence for carrying out pipe fitting works through out Rajasthan under your administrative control.

I/We own a shop in \_\_\_\_\_ and deal with the pipe fitting etc. I/We possess all necessary tools and equipment needed for the purpose and can be inspected at all times. I/We have necessary shall for the purpose under the technical supervision of Shri \_\_\_\_\_ who is a qualified technician and is in our service.

The following documents are attached.

1. Income Tax Clearance Certificate.
2. Certificate from the Bank regarding financial status.
3. Certificate of the technician.

I agree to abide by all rules and regulation.

Yours faithfully

Signature \_\_\_\_\_  
Address. \_\_\_\_\_

Dated \_\_\_\_\_

## ASSISTANT ENGINEER'S REPORT AFTER INSPECTION

ASSISTANT ENGINEER

## EXECUTIVE ENGINEER'S RECOMMENDATION

EXECUTIVE ENGINEER

Sanctioning authorities Approval

Licence fee deposited as per C.R. No. \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_

CASHIER. ....

All concerned to note

EXECUTIVE ENGINEER

DATED \_\_\_\_\_

## APPENDIX II

## WATER SUPPLY REGULATIONS

1. All work connected with the making, alteration, extension or repair of private connection shall be carried out, subject to the examination of Assistant Engineer by the person or persons whom the Department may, from time to time appoint as its licenced puluber or plumbers, who shall enter into an agreement with the Department for a period of one year.

2. No tap shall be allowed to project outside any premises nor shall any tap be fixed to such a position as to be available for use by the public or in close proximity to any, priky drain or other place where injurious gases are likely to be produced.

3. No connection shall be made by a licenced plumber between a communication pipe and supply pipe except in the presence of an office duly authorised in this behalf by the Assistant Engineer.

4. Every boiler for generating steam be supplied with water from a cistern and not directly from service, pipe and

every cistern shall be provided with ball valve, detective or warning pipe and proper means of access and inspections.

5. The pipes and fittings of house service connections shall be exact duplicates of the samples deposited in the office of the Assistant Engineer, so that the part may be interchangeable and shall consist of five sections;

(i) The ferrule, connecting the communication pipe with the supply pipe shall be covered with an iron bell cover resting on the supply pipe to protect it from contact with the earth.

(ii) The communication pipe from ferrule of the stop cock and the service or pipes from the stop cock to the taps shall be screened wherever practicable from exposure to the sun. The communication pipe shall not be less than 2 ft. below the surface of the ground. Wherever communication pipe is laid across a sewer or open drain or in any place where in the opinion of the Assistant Engineer it is liable to injury, such pipe shall be passed through an exterior glazed ware or cast iron pipe of sufficient length and strength to afford due protection to it. No pipe less than 1 inch shall be laid under roads.

(iii) A brass stopcock, having the same water way as the pipe which shall be placed at or near the point of entrance to the premises, to be supplied, or if necessary within such premises to shut off the water and regulate the supply. The stop cock shall be provided with a footway cover box resting on brick work, to indicate its situation and shall furnish with a lock and key. Such key shall remain under the control of the Assistant Engineer. The stop cock shall be capable of adjustment so that the supply to the house be regulated by it.

(iv) The taps: All taps wherever fitted shall be of the screw down variety.

(v) *The meter where necessary:*—The meter shall be placed as near to the stop cock as possible in a position where it can be conveniently examined. No meter shall be fixed underground unless in a brick wall. No meter shall be disconnected from the service pipe or in any

way interfered with, save with the permission of the Assistant Engineer.

There must be arrangement for looking it and the key shall remain under the control of the Assistant Engineer. The Assistant Engineer shall cause all meters to be tested at least once annually and in each case a certificate shall be filled to the effect that the meter has been tested.

6. The dimensions of ferrule, interior pipes and taps for water shall be of the following relative sizes only, except when a connection is taken for supply in bulk.

Diameter of ferrule	Diameter of pipes inside house		Size or taps or stop cock
	Lower floor	Upper floor	
Inches	Inches	Inches	Inches
1/2	1/2	1/2	1/2
3/4	3/4	3/4	3/4
1	1	1	1

7. Connections may be out off,

- (i) by order of the Executive Engineer in cases provided for in Rules 40 (a) (c), (d) and (e) of the water supply Byelaws.
- (i) By order of the Assistant Engineer in cases provided for in Rule 25 (i) (b) (d) (e).

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 1, 1967

संख्या एफ. 4 (97) एम. पी. एच. 164:—राजस्थान में जल प्रदाय के लिये, राजस्थान सरकार निम्नलिखित नियम जारी करती है :—

1. संक्षिप्त नाम तथा विस्तार:—(क) ये नियम "राजस्थान जल प्रदाय नियम" कहलायेंगे ।

(ख) ये नियम सम्पूर्ण राजस्थान राज्य पर लागू होंगे ।

(ग) ये नियम, वर्तमान समस्त इकाइयों के नियमों का अतिक्रमण करते हुए जारी किये जाते हैं ।

2. परिभाषाएँ:—(क) सरकार से तात्पर्य राजस्थान सरकार से होगा ।

(ख) मुख्य अभियन्ता से तात्पर्य, मुख्य अभियन्ता, जनस्वास्थ्य, अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर से होगा ।

(ग) अधीक्षक अभियन्ता से तात्पर्य, संबन्धित डिवीजन के अधीक्षक अभियन्ता, स्वास्थ्य से होगा ।

(घ) निष्पादन अभियन्ता से तात्पर्य, डिवीजन के प्रभारी अभियन्ता से तथा जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी (इञ्जीनियरिंग) सब-डिवीजन के प्रभारी, सहायक अभियन्ता से होगा ।

(ङ) जोरदार से तात्पर्य, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी सब-डिवीजन में सहायक अभियन्ता के अधीन कार्य करने वाले अधिकारी से होगा ।

(च) ठेकेदार (Contractor) से तात्पर्य नियमों के अनुसार डिवीजन में सूचीबद्ध अनुज्ञापत्रधारक नलधार (नल छिन्ने वाला) (Licensed plunder) या ठेकेदार से होगा ।

(छ) विभाग से तात्पर्य जलदाय विभाग (जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग) से होगा ।

(ज) उपभोक्ता से तात्पर्य समस्त व्यक्तियों तृतीय व्यापार संस्थाओं या सार्वजनिक संस्थाओं, स्थानीय निकायों, सरकारी विभागों या उन सबसे हैं जो उपरोक्त नियमों के अन्तर्गत जलदाय गृह के मेन्स (Mains) के माध्यम से जल का क्रय करते हैं ।

3. सार्वजनिक प्रदाय:—(1) जो कोई सार्वजनिक नल (stand post) पर नहाता है या कपड़े या अन्य वस्तुएं धोता है या किसी सार्वजनिक नल को छेड़ता है या उस हानी पहुंचाता है या किसी सार्वजनिक नल से अनुचित ढंग से पानी लेता है, लेने का प्रयत्न करता है । या जान बूझकर सार्वजनिक नल का पानी नष्ट करता है वह संबन्धित निष्पादन अभियन्ता जलदाय गृह द्वारा निर्धारित हानी को पूर्ति करने का भागी होगा ।

(2) कोई भी व्यक्ति कोई भवन बनाने के लिये किसी सार्वजनिक नल से पानी लेना प्रारम्भ नहीं करेगा और न अपने नौकरों या मजदूरों के जरिये पानी लेगा और न उन्हें पानी लेने की अनुमति देगा जब तक की वह प्रपत्र ज-1 में विभाग से लिखित अनुमति प्राप्त न करले। अनुमति-पत्र (Permit), उसके धारक द्वारा ऐसे स्थान पर रखा जायगा जहां कि उपरोक्त प्रयोजन के लिये पानी का उपयोग किया जा रहा है और विभाग के ऐसे अधिकारियों द्वारा इसका निरीक्षण किया जा सकेगा। जो इस सम्बन्ध में, निष्पादन अभियन्ता द्वारा प्राधिकृत किये जाय। विभाग की लिखित अनुमति के बिना, अनुमति-पत्र में दी गई तारीख के बाद उपरोक्त प्रयोजन के लिये कोई पानी नहीं लिया जायगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो भवन बनाने के लिये या सड़कों को दृढ़ करने के लिये, सार्वजनिक नल से पानी लेने का इच्छुक हो, इन नियमों के साथ, संलग्न प्रपत्र ज-2 जो, जलदाय विभाग से प्राप्त किया जा सकेगा, एक आवेदन-पत्र देगा। (देखिये अनुच्छेद 17) वह उस भवन, जिसके लिये पानी लेने का प्रस्ताव है, की घनधारित (Cubic content) का हिसाब लगाने में विभाग की समर्थ बनाने के लिये निर्मित किये जाने वाले प्रस्तावित भवन को दिखलाते हुए, प्रपत्र ज-2 में आवेदन के साथ, एक मानचित्र भी प्रस्तुत करेगा। निर्मित या पुनर्निर्मित किये जाने वाले भवन के भाग को मानचित्र में लाल रंग से दिखलाया जायगा। समस्त व्यक्ति जब तक कि विभाग किसी भी व्यक्ति को लिखित आवेदन द्वारा मुक्त करना ठीक न समझे, प्रतिभूति के रूप में, आवेदन-पत्र के साथ 50 रुपये जमा करायेंगे। वह, मांग करने पर, जल के शुल्कों के रूप में 250 रुपये तक ऐसी अतिरिक्त प्रतिभूति भी जो भवन के परिमाण तथा कुछ अनुमानित मांग को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मामले में विभाग द्वारा निश्चित की जाय, जमा कराने का भागी होगा। ऐसे प्रयोजनों के लिये, लिये गये पानी के शुल्क ऐसे समस्त व्यक्तियों द्वारा, बिल प्राप्त होने के 7 दिन के अन्दर इन नियमों के नियम 14 तथा 15 के अर्धीन समय समय पर विभाग द्वारा निर्धारित की गई दरों के अनुसार देय होंगे।

(3) जो कोई भी विभाग की लिखित अनुमति के बिना, घरेलू प्रयोजनों के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिये सार्वजनिक नल से पानी लेता है या लेता रहाता है या अपने नौकरों या मजदूरों के जरिये पानी लेता है या उन्हें पानी लेने की अनुमति देता है तो वह ऐसी रकम देने का भागी होगा, जिसका कि वह यदि उसने सार्वजनिक नल से पानी लेने की इजाजत प्राप्त करली होती, भागी होता।

घरेलू प्रयोजनों के लिये पानी के प्रदाय से निम्नलिखित के लिये किया गया प्रदाय सम्मिलित नहीं समझा जायगा—

(क) जानवरों के लिये या गाड़ियों (Vehicles) को घोने के लिये, जब कि ऐसे जानवर या गाड़ियों को बिक्री के लिये या किराये पर चलाने के लिये रखा गया हो,

(ख) किसी भी व्यापार, निर्माण या करबार (Business) के लिये,

(ग) फव्वारों, तैरने के हौजों या किसी आलंकारिक या यान्त्रिक प्रयोजनों के लिये,

(घ) उद्यानों या सिंचाई के प्रयोजनों के लिये,

(ङ) सड़कों या मार्गों पर पानी छिड़कने के लिये,

(च) भवन बनाने के लिये,

## भाग 2

**निजी प्रवायः**—पानी के निजी प्रवाय के लिये जनशाय गृह के मेन्स से कोई भी कनेक्शन, तथा किन्हीं निजी भू-गृहादि ( Premises ) में मौजूद कनेक्शनों में कोई भी फेरबदल या उनका विस्तार ऐसे भू-गृहादि के मालिक या उसके मान्यता प्राप्त एजेंट द्वारा ध्रावेदन-पत्र दिए बिना नहीं किया जायगा, जिसे उपभोक्ता के रूप में पंजीकृत किया जायगा और जो, उसकी जायदाद में लगने वाले पानी के कनेक्शनों के सम्बन्ध में, इन नियमों का पालन करने के लिये उत्तरादायी होगा ।

परन्तु विभाग, यदि वह स्वयं इसे उचित समझे तो किसी भी मौजूदा कनेक्शनों की स्थिति में फेरबदल कर सकेगा ।

**टिप्पणियाँ:—**ऐसे कनेक्शन केवल घरेलू प्रयोजनों के लिये होंगे किन्तु विभाग ऐसी शर्तों पर, जो बहु नियत करे, इन कनेक्शनों को अन्य प्रयोजनों के लिये काम में लाने की अनुमति दे सकेगा ।

5. पानी के निजी प्रवाय के लिये मेन्स (mains) से कनेक्शन या ऐसे किसी भी मौजूदा कनेक्शन में फेरबदल या उसका विस्तार करने के लिये प्रत्येक ध्रावेदन-पत्र प्रभारी सहायक अभियन्ता को सम्बोधित किया जायगा । जो एक मुद्रित प्रपत्र में होगा, जो विभाग से प्राप्त किया जा सकेगा । ( देखिये नियम 8 )

6. नये कनेक्शनों की स्वीकृति या अस्वीकृति अधीक्षक अभियन्ता द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा की जायगी । यही प्राधिकारी, मौजूदा कनेक्शनों में फेरबदल करने या उनका विस्तार करने की स्वीकृति या अस्वीकृति भी देगा ।

7. विभाग अपने विवेकानुसार पानी के किसी कनेक्शन की स्वीकृति या अस्वीकृति दे सकता है या इस प्रकार दिये गये पानी के किसी कनेक्शन के लिये मीटर लगवा सकता है या इस प्रकार लगाये गये किसी भी मीटर को किसी भी समय हटवा सकता है । प्रवाय का तरीका बदलने के पहिले विभाग, मालिक या उपभोक्ता को एक नोटिस देगा । जो एक पक्ष से कम का नहीं होगा । जहाँ प्रथम बार मीटर कनेक्शन दिया जाता है तो पानी के प्रवाय की अनुमति की जान के पूर्व मालिक या उपभोक्ता उसके भू-गृहादि को लिये विभाग द्वारा दिये गये प्रत्येक मीटर के संबंध में तुरन्त 25 रुपये की रोक प्रतिभूति देना कर सकेगा ।

#### कनेक्शन देने के लिये प्रक्रिया

8. कोई भी व्यक्ति जिसमें निगम निकाय (Corporate Body) भी सम्मिलित है भू-गृहादि का मालिक होने के नाते, संबंधित सहायक अभियन्ता अभियन्ता, जलशाय गृह को, ध्रावेदन-पत्र में विनिविष्ट किये जाने वाले प्रयोजनों के लिये, जो निर्धारित प्रपत्र में होगा और जो (प्रपत्र) 1 च. में या तो निष्पादन अभियन्ता के कार्यालय से या संबंधित सब-डिवीजन के सहायक अभियन्ता के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकेगा, पानी के प्रवाय के लिये ध्रावेदन करेगा ।

9. यदि ध्रावेदक उस भू-गृहादि का मालिक न हो, जिसमें वह पानी का कनेक्शन लगाना चाहता है तथा उक्त भवन या भूमि का किरायेदार हो तो उसे ध्रावेदन-पत्र पर भू-गृहादि

मालिक से किरायेदार के नाम में पानी के कनेक्शन के लिये "कोई आपत्ति नहीं" का प्रमाण-पत्र अभिहस्तांकित करवाना चाहिये। इसके उपरान्त किरायेदार से नीचे बतलाये अनुसार निक्षेप प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायगी जो उसे भू-गृहादि छोड़ने पर तथा उसके नाम जल प्रदाय से संबंधित कोई बकाया न होने पर, लौटा दिया जायगा।

112" के पानी के कनेक्शन के लिये 50 रु०

314" के पानी के कनेक्शन के लिये 75 रु०

1" तथा ऊपर के पानी के कनेक्शन के लिये 100 रु०

व्यापार संस्था अर्थात् होटल, सिनेमा आदि के लिये 200 रु०

10. नये कनेक्शनों के लिये आवेदन-पत्र संबंधित सहायक अभियन्ता, जलदाय गृह द्वारा संबंधित अधिकारी को अप्रेषित किये जायेंगे (नियम 6 के अनुसार) जिसका कनेक्शनों की स्वीकृति या अस्वीकृति के संबंध में निर्णय अन्तिम होगा।

11. प्रस्तावित कनेक्शन की स्वीकृति के पश्चात्, आवेदक को एक पत्र द्वारा इसकी सूचना दी जायगी, और आवेदक 15 दिन के अन्दर संबंधित निष्पादन अभियन्ता के पास कनेक्शन फीस के रूप में 10 रुपये जमा करवायेगा। मीटर बॉक्स तथा विभाग द्वारा समय समय पर लगाये जाने वाले बलयकों ( Ferrule ) का मूल्य भी उसे कनेक्शन के साथ जमा कराना होगा यदि विभागीय विवरणों के अनुसार वह अपना मीटर बॉक्स तथा बलयक ( Ferrule ) प्राप्त नहीं कर सके।

12. आवेदक को अपने स्वयं के खर्च पर पाइप फिट कराने का प्रबंध करना होगा।

13. (1) जलदाय गृह मेन्स या सब-मेन्स से सर्विस लाइन के संभारण की जिम्मेदारी सिर्फ उपभोक्ता की होगी। लेकिन इसका संभारण (सरम्भत तथा प्रतिस्थापन) जलदाय विभाग के द्वारा करवाना होगा, तथा इसका खर्च उपभोक्ता को वहन करना होगा। यदि उपभोक्ता संभारण, सरम्भत तथा प्रतिस्थापन का खर्च जमा कराने में विफल रहे तो उसका कनेक्शन यथोचित सूचना-द्वारे के बाद काट दिया जायगा और इस संबंध में किये गये खर्च की राशि पब्लिक डिमाण्ड्स रिकवरी एक्ट, 52 के अनुसार वसूल करली जायगी।

(2) मीटर से आगे तथा भू-गृहादि के अन्दर पाइप लाइन का अधिष्ठापन तथा विस्तार, आवेदक, किसी अनुज्ञापत्र प्राप्ती नलंकार ( Licensed plumber ) द्वारा या जलदाय विभाग के अनुमोदित ठेकेदार द्वारा करवायेगा लेकिन जब कभी विभाग चाहे या निदेश, विभाग का तकनीकी प्रतिनिधी इसका निरीक्षण कर सकेगा।

(3) उपभोक्ता, बरबा के पानी या कुए के पानी या जलदाय गृह के मेन्स के अन्य पानी के संग्रह के लिये काम में लाये जाने वाले किसी हीज या पात्र को अपनी पाइप लाइन के साथ नहीं जोड़ेगा तथा किसी शौचागार, मूत्रागार स्टीम बायलर या किसी उष्ण जल प्रणाली या तापन या व्यापार के प्रयोजनों के काम आने वाले किसी संयंत्र या किसी बन्द पात्र के साथ उनकी (जल) प्रदायक प्रणाली के जरिये के अलावा अन्यथा या किसी भी यांत्रिक साज सामान जैसे पम्प आदि के साथ जल प्रदाय सीधे रूप में संबंधित नहीं किया जायगा, (देखिये नियम 36)।



14. कर्मस्थान से जल संचयन के लिए आवश्यक जल तक कि पूर्ण या अंशक मात्रा न करवा दी जाय तथा समस्त आवश्यक प्रावधानों के पूर्ण न करने पर आवश्यक अनुज्ञापत्र-धारी मलकार या जलदाय 15 के अनुमोदित विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत न कर दिया जाय।

15. कर्मस्थान से जल अनुमोदित जायत अक्षा करवाने के पश्चात्, खर्च (wasted) पानी के नियंत्रण के लिए कोई पक्का व्यवस्था नहीं है पर आवेदन की स्वाभाविक स्थिति सफल प्राधिकारी या नगर पुराण-पत्र, जल या स्थिति है, का अनुमति भी प्रस्तुत करनी होगी। यदि पक्की सड़क बना हुई हो और उनी सड़क की आवश्यकता होती है, तो मसा करने के लिए आवेदक को आवश्यक खर्च जमा करवाना होगा, जिसका प्रावधान अनुज्ञापन में किया जायगा।

#### मीटर युक्त कर्मस्थान

16. (1) समस्त मीटर तथा उपभोक्ता अन्य साधन तथा किसी भी भवन या भूमि में पानी के प्रदाय के प्रावधिक साधन (Apparatus), इन नियमों में जैसा अन्यथा प्रावहित किया गया है, उन्की छोड़कर तथा जहाँ तक हो सकेगा, भाजिक या उपभोक्ता जैसी भी स्थिति हो, के खर्च पर प्रदाय किये जायेंगे, उन्की मरम्मत की जायेंगी, स्वतन्त्ररित, परिवर्तित, जैसा भा विभाग द्वारा आवश्यक सम्भसा जाय, किये जायेंगे लेकिन उन पर निबंधन विभाग का रहेगा।

(2) मीटर युक्त कर्मस्थानों के लिये, मीटर तथा उपभोक्ता: जलदाय विभाग द्वारा प्रदाय किया जायगा। लेकिन यह जरूरी नहीं है। तथापि किसी उपभोक्ता को निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहने हुए, खर्च का मीटर तथा उपभोक्ता की भी अनुमति दी जा सकती है।

- (क) मीटर, विभाग द्वारा अनुमोदित प्रकार (Type) का तथा चालू हालत में अस्तित्व होना चाहिए।
- (ख) मीटर जलदाय विभाग द्वारा परीक्षण करने के पश्चात् उपभोक्ता के खर्च पर लगाया जायगा।
- (ग) मीटर परीक्षण की कीमत 5 रुपये ली जायगी।
- (घ) किसी भी मीटर को, चाहे वह उपभोक्ता का ही क्यों न हो, किसी भी प्रकार छोड़ा नहीं जायगा।
- (ङ) मीटर की सुरक्षा के लिये जेबन उपभोक्ता जिम्मेदार होगा, यदि मीटर छोड़ा जाता है, चोरी हो जाती है या हानि के मुक्त हो जाता है तो उपभोक्ता को अपने खर्च पर उन्की मरम्मत या प्रतिस्थापन मीटर को विधित हो करानी होगी, ऐसा न किये जाने पर कर्मस्थान काट दिया जायगा तथा पब्लिक डिमाण्ड रिफरेंस एक्ट, 1952 के अधीन उन्से बसूनी की जायगी।
- (च) यदि मीटर की सील टूट जाती है तो प्रथम बार एड हस्ता लेकर फिर से लगा दी जायगी, यदि विभाजन अभियन्ता इस बात से संतुष्ट हो जाय कि सील बुरे इरादे से तोड़ी है तो उपभोक्ता को हानिपूर्ति के लिये अधिकतम 50 रुपये देने होंगे।

17. जल शुल्क:—शुल्क, जलदाय विभाग द्वारा समय समय पर निश्चित की गई दरों के अनुसार लायें जायेंगे। प्रत्येक जलदाय बिल में बतलाई गई नियत तारीख तक बिल का भुगतान करने पर निश्चित की गई छूट दी जायगी।

18. नियम 17 में निर्दिष्ट शुल्कों के अलावा निम्नलिखित शुल्क भी होंगे।

मीटर किराया:—मीटर विभाग के हॉनर पर मीटर का किराया भी जलदाय विभाग द्वारा समय समय पर निश्चित की गई दरों के अनुसार लिया जायगा। इन दरों में मीटरों का परिवर्तन, मरम्मत तथा तवीनकरण के व्यय भी सम्मिलित होंगे।

19. (1) किसी भी मीटर युक्त कनक्शन के संबंध में जीयित उपभोक्ता, 5 रुपये फीस के देने पर मीटर की शुद्धता की चुनौती दे सकता है। यदि परीक्षा करने पर यह पाया जाता है कि मीटर ने वास्तविक खपत से 5 प्रतिशत कम या अधिक खपत बताई है तो एसी सूरत में फीस लौटा दी जायगी। परीक्षा के फलस्वरूप यदि यह पाया जाय कि मीटर में कोई दोष नहीं था तो निक्षेप जब्त कर लिया जायगा।

(2) एसी किसी भी अवधि के लिये जिसमें कनक्शन खुला रहता है मीटर के किराये का भुगतान किया जायगा चाहे मीटर उपयुक्त पानी की मात्रा सही-सही न बताता हो।

#### बिना मीटर के कनक्शन

20. जब कभी भी ऐसे किसी भी मकान में, जिसमें बिना मीटर के कोई कनक्शन लगाया गया है, मालिक द्वारा मकान के निर्माण या पुनर्निर्माण जैसा कोई कार्य कराया जाता है तो पंजीयित उपभोक्ता या ऐसे निर्माण कार्यों के लिये उत्तरदायी अन्य व्यक्ति ऐसे निर्माण कार्य आरम्भ किये जाने के पहले निर्माण के प्रयोजनों के लिये पानी के उपयोग करने की अनुमति के लिये, विभाग को प्रपत्र ज-2 में एक आवेदन-पत्र देंगे तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए, जब तक इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र ज-1 में स्वीकृति प्राप्त न करली जाय, पानी का उपयोग नहीं किया जायगा। उपरोक्त प्रयोजन के लिये पानी का उपयोग करने के समय, अनुमति-पत्र उसी स्थान पर रखा जायगा तथा विभाग के ऐसे अधिकारी जिन्हें विभाग द्वारा इस कार्य के लिये प्राधिकृत किया जाय उसका निरीक्षण कर सकेंगे। विभाग की लिखित अनुमति के बिना अनुमति-पत्र (परमिट) में दी गई तारीख से आगे, उक्त प्रयोजन के लिये कोई पानी नहीं लिया जायगा। प्रपत्र ज-2 में आवेदन-पत्र के साथ वह एक नक्शा भी प्रस्तुत करेगा, जिसमें विभाग को बन-परिमा (Cubical Contents) का परिगणन करने में समर्थ बनाने के लिये निर्मित किये जाने के लिये प्रस्तावित मकान को दिखलाया जायगा। ऐसे समस्त व्यक्ति, जब तक कि विभाग किसी को भी लिखित में आदेश द्वारा मुक्त करना उचित न समझे, प्रतिभूति के रूप में 50 रु. की राशि जमा करावेंगे। उसे मकान के आकार (साइज) तथा जल शुल्कों के लिये अनुमानित मांग के अनुसार 250 रु0 तक अतिरिक्त प्रतिभूति भी जमा करानी होगी। यह विभाग की इच्छा पर निर्भर होगा कि वह कनक्शन के मीटर लगाये तथा घरेलू प्रदाय के लिये मीटर युक्त कनक्शनों के लिये समय समय पर प्रभावशील दरों के अनुसार वास्तव में खर्च हुए पानी के आधार पर, शुल्क वसूल करे या उस कनक्शन के मीटर न लगावे जिस दशा में मकान बनाने के लिये, लिये गये पानी के लिये जल-शुल्क अधीक्षण अभियन्ता की स्वीकृति के नियम 17 तथा 18 के अधीन समय समय पर विभाग द्वारा निश्चित दरों के अनुसार देय होंगे। इस नियम में उल्लिखित विभाग की समस्त मांगों का बिल की प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर, भुगतान किया जायगा। यदि इस नियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया जाता है या उसका पालन नहीं किया जाता है तो पानी का कनक्शन काट दिया जायगा तथा पुनः कनक्शन करने की फीस के 10 रुपये देने पर ही कनक्शन फिर से चालू किया जायगा।

21. (1) विभाग की लिखित अनुमति के बिना किसी फव्वारे या हॉज को किसी बिना मीटर के कनक्शन के साथ संबंधित नहीं किया जायगा।

(2) ऐसे फव्वारे या हीज के लिए विभाग द्वारा कोई विशेष दर निर्दिष्ट की जायगी।

प्रभारों का परिगणन तथा भुगतान

22. (1) नियम 17 तथा 18 में बतनायें गये शुल्कों को परिगणना करने के लिये 15 दिन या इससे कम अवधि को आधा महीना माना जायगा और 15 दिन से अधिक तथा 1 महीने से कम की अवधि को एक महीना माना जायगा।

(2) साधारणतः पानी के मीटर द्वारा बतलाई गई खपत, समस्त प्रयोजनों के लिये प्रत्यक्षतः (*Prima facie*) अभिलेख है।

(क) परन्तु जब मीटर खराब होने के संबंध में रिपोर्ट की जाय या मीटर खराब हो जाय या मीटर की मरम्मत की जा रही हो या अतिरिक्त पुर्जें उपलब्ध न होने के कारण मरम्मत न की जा सकती हो, तो ऐसी स्थिति में पानी की खपत की परिगणना निम्नलिखित एक या एक से अधिक आधारों पर की जायगी।

- (1) मीटर द्वारा अभिलिखित वास्तविक खपत पर, यदि जांच करने पर यह विदित हो कि मीटर 5 प्रतिशत से कम तेज या धीरे चलता है,
- (2) ठीक पहले वाले महीने की औसत पर तथा पूर्वगामी तीन महीनों की औसत पर,
- (3) गत वर्ष की तदनु रूप अवधि की खपत पर,
- (4) किसी मान्य तिथि के आधार पर जिसे जलदाय विभाग का अधिशासी अभियन्ता उचित समझे।

(ख) इन नियमों के प्रयोजनार्थ, मीटर को निम्नलिखित कारणों पर खराब हो गया समझा जायगा :—

- (1) यदि जांच करने पर यह मालूम हो कि मीटर 5 प्रतिशत से अधिक तेज या धीरे चलता हो,
- (2) यदि जांच के उपरान्त यह मालूम हो कि मीटर को छोड़ा गया है या खराब किया गया है,
- (3) यदि मीटर बन्द हो जाय या उसके जरिये प्राप्त पानी की खपत न बतावे।

(ग) यदि यह संदेह हो कि कोई निजी मीटर धीरे चल रहा है या खराब हो गया है तो, उस मीटर को हटा लिया जायगा तथा विभाग द्वारा इसकी जांच की जायगी और सही हालत में पाया जाने पर उस पर सील लगा दी जायगी तथा विभाग के खर्च पर उसे पुनः स्थापित कर दिया जायगा :

परन्तु खराब पाया जाने पर, मीटर का मालिक उसे एक महीने के अन्दर सुधरवायेगा तथा परीक्षण फीस के 5 रुपये जमा करवा कर, इस विभाग से उसका परीक्षण करवायेगा।

यदि किसी मीटर मोटर जो भुगतान करने से अतिरिक्त हिस्सों (Spare parts) प्राप्ति हो सके, या मोटर या मीटर में त्रुटि करवाना पड़ेगा।

23. इस विभागीय प्रस्ताव के अन्तर्गत शुल्कों का भुगतान किसी भी कर्मचारी के पंजीयत उपभोक्ता हो करना होगा परन्तु यदि किसी त्रुटि मोटर के शोषण जांच करने पर यदि यह पाया गया कि मोटर 5 मीटर से अधिक वात बना रहा है तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता, ऐसी अधिक खपत के शुल्कों को प्राप्त करने का अधिकारी होगा, और ऐसी त्रुटि मोटर के प्रथम दिन में लेकर जांच की तारीख तक तो अग्रिम में हुई खपत को अनुमानित कर कर ले लिया जायगा।

यदि किसी त्रुटि मोटर में मोटर बन्द हो जाय तो विभाग को उस त्रुटि मोटर में अधिक खपत के लिये अधिक राशि वसूल करने का अधिकार होगा, और यह राशि पूर्ण उपयोग के गत तीन महीनों की प्रसृत राशि से अधिक नहीं होगी।

#### जलदाय के बिल

24. (क) समय समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर पानी की खपत के शुल्कों का तथा मीटर किराये का एक बिल; प्रत्येक उपभोक्ता के पास हर महीने भेजा जायगा।

(ख) भुगतान की तारीखें महीने में अलग अलग होंगी तथा बिल इस तरह तैयार किये जायेंगे तथा उनका वितरण इस ढंग से किया जायगा कि पानी के समस्त बिल उपभोक्ताओं की हर महीने की 14 तारीख तक दे दिये जायें तथा उनका भुगतान बिल जारी करने की तारीख से 15 दिन के अन्दर अवश्य कर दिया जाना चाहिए। यदि निर्दिष्ट तिथि तक बिल का भुगतान नहीं किया जाय तो उपभोक्ता को अपहार ( Rebate ) की सुविधा प्राप्त न हो सकेगी और उसे, बिल में उल्लेखित सामान्य दरों पर भुगतान करना पड़ेगा।

(ग) बिल प्राप्त न होने का जहाना स्वीकार नहीं होगा।

(घ) कार्यालय से पत्र व्यवहार करने समय उपभोक्ता को हमेशा बिल संख्या लिखनी चाहिये।

(ङ) विवाद की स्थिति में, अपहार का लाभ उठाने के लिये, बिल का पूर्ण भुगतान विरोध के साथ समय के अन्दर कर देना चाहिये। किसी अधिक शुल्क की स्वीकृति पर उसका साराजोवन, अग्रिम बिलों में कर दिया जायगा।

(च) यदि किसी कारणों से बिल न संशोधन किया जाय तो बिल का भुगतान, प्रस्तुति की तिथि से 15 दिन के अन्दर किया जा सकता है।

25. बिल जो जाने की स्थिति में उत्तकी प्रतिलिपि 12 पैसे देकर कार्यालय से प्राप्त की जा सकेगी। यदि बिल डाक द्वारा भेजे जाय तो फवल 15 पैसे अतिरिक्त शुल्क के रूप में भुगतान करने पड़ेंगे।

26. बिल, कर्मचारी लेने वाले के नाम में भेजा जायगा तथा यह उस स्थान पर दिया जायगा जहां कर्मचारी लना हुआ है। विशेष परिस्थितियों में अपवाद हो सकते हैं।

27. पब्लिक डिप्लॉन्ड रिक्वरी अधिनियम, 1952 के अनुसार इन नियमों के अन्तर्गत शुल्कों से संबंधित समस्त बकायों की वसूली जलदाय विभाग द्वारा की जायगी।

28. सन 1967 के अधिनियम, संशोधित अधिशासी अभियन्ता के नाम भेजी जानी चाहिये। संशोधित डिविजन के अधीक्षक अभियन्ता, स्वास्थ्य के पास निष्पादन अभियन्ता के प्रादेशों के विस्तार प्रतीक की जायगी।

### अस्थाई कनेक्शन

29. (क) पानी के अस्थाई कनेक्शन, गार्डो, सैलें, प्रदर्शनियों, आदि विभाग प्रयोजनों के लिए, सीमित अवधि के लिए स्वीकृत किये जायेंगे।

(ख) पानी के अस्थाई प्रदाय के लिए भी मीटर लगाये जायेंगे।

(ग) रोडर का किराया, जैसा कि स्थायी उन्मोक्तता से सामान्यतः लिया जाता है, वसूल किया जायगा।

(घ) पानी के शुल्क, प्रभावशील सामान्य दर के डंडे के हिसाब से वसूल किये जायेंगे।

(ङ) प्रादेशिक को, विभाग को प्राप्त राजियों की सुरक्षा के लिये प्रतिभक्ति स्वरूप अनुमानित राशि आवश्यक निक्षेप के रूप में अग्रिम जमा करवाना पड़ेगा तथा अस्थाई कनेक्शन को हटाने पर, दर का सजायोजन तदनुसार कर लिया जायगा।

(च) इन नियमों के अन्तर्गत (मौसमी) प्याऊ, सबील, पशु-नांदों आदि के लिये भी अस्थाई कनेक्शन दिये जायेंगे।

30. नियम (17), (18), (22) तथा (29) के प्रावधानों के होते हुए भी विभाग, किसी सार्वजनिक या किसी धर्मार्थ प्रयोजन के लिये निःशुल्क पानी का कनेक्शन दे सकेगा परन्तु शर्त यह है कि यदि ऐसे निःशुल्क कनेक्शन का पर्याप्त व्यक्ति पानी को बरबाद होने देता है या उस प्रयोजन के अलावा, जिसके लिये कनेक्शन स्वीकृत किया गया है, अन्य प्रयोजन के लिये पानी का उपयोग करने देता है तो विभाग उस निःशुल्क कनेक्शन को रद्द कर सकेगा।

### निजी कनेक्शनों के लिये सामान्य प्रावधान

31. पास के किसी मकान या भू-गृहादि के सर्विस कनेक्शन से किसी भी मकान में पानी का प्रदाय नहीं किया जायगा परन्तु शर्त यह है कि विभाग को आवेदन-पत्र देने पर तथा विभाग द्वारा निश्चित शर्तों पर एक या एक या एक से अधिक मकानों में 114 " से अधिक के कनेक्शन का उपयोग किया जा सकेगा।

32. उपयोग के पश्चात् शेष जल (waste water) के निकास के प्रबंध से जब तक विभाग या नगरपालिका संतुष्ट न हो जाय तब तक कोई कनेक्शन स्वीकार नहीं किया जायगा।

33. निजी कनेक्शन के किसी भाग को या कनेक्शन तक जाने वाले किसी पाईप या किसी भाग को किसी भी प्रकार से छेड़ा नहीं जायगा चाहे यह छेड़ा उ से सुधारने, मरम्मत या किसी प्रयोजन के लिये क्यों न की गई हो।

34. प्रत्येक पंजीयत उपभोक्ता, यह बात ध्यान में आने पर कि उसके नल में कोई खराबी हो गई है और जिसकी वजह से पानी नष्ट हो रहा है, विभाग को इस संबंध में तुरन्त सूचना देने के लिये बाध्य होगा।

35. जहां बिना मीटर का कनेक्शन दिया हुआ है, ऐसे प्रत्येक मकान में, विभाग, किसी उपयुक्त स्थान पर या सरलता से पहुंचा जाय ऐसे स्थान पर, 3 इंच X 2 इंच साइज की एक इनामेल (enamel) की प्लेट लगायेगा जिस पर पानी के कनेक्शन की संख्या अंकित होगी। किसी भी समय यदि प्लेट खो जाय, टूट जाय या खराब हो जाय तो इसका मूल्य, जो एक रुपये से अधिक नहीं होगा, और जो समय समय पर विभाग द्वारा निश्चित किया जायगा, पंजीयत उपभोक्ता से, जलकर की बकाया के अनुसार वसूल किया जायगा।

36. जलदाय विभाग की पूर्ण स्वीकृति प्राप्त किये बिना, जलप्रदाय प्रणाली (Water Supply System) से पम्प संयंत्रों या साधनों (Devices) को संबंधित नहीं करने दिया जायगा।

#### निजी कनेक्शनों को बन्द करना तथा पुनः चालू करना

37. कोई भी पंजीयत उपभोक्ता, जो अपना कनेक्शन बन्द करना चाहता है, इस सम्बन्ध में, लिखित में 15 दिनों का एक नोटिस विभाग को देगा, जिसकी अवधि समाप्त होने पर उस से जलकर वसूल नहीं किया जायगा।

38. यदि किसी भूगृहादि, जिसमें कनेक्शन लग रहा है, के मालिक या मालिक द्वारा प्राधिकृत किसी एजेंट के अलावा, अन्य कोई व्यक्ति, कनेक्शन को पुनः चालू करवाना चाहता है या उसे चालू रखवाना चाहता है जो अन्यथा बन्द कर दिया जाता, तो उसे पंजीयत उपभोक्ता की जिम्मेदारियां वहन करते हुए एक इकरारनामा निष्पादित करना पड़ेगा तथा उसे पंजीयत उपभोक्ता की समस्त देयताएं भी स्वीकार करनी पड़ेंगी। ऐसे समस्त व्यक्तियों को जब तक कि विभाग लिखित आज्ञा देकर उन्हें मुक्त करना उचित न समझे, 30 रुपये या इससे इतनी अधिक, राशि जो विभाग द्वारा निश्चित की जाय, जल शुल्कों के भुगतान स्वरूप जमा करवाने पड़ेंगे और यह राशि सामान्य शुल्कों के रूप में अग्रिम में जमा कराई जाने वाली राशि के अतिरिक्त होगी। प्रतिभूति की राशि को यथावत् (intact) रखा जायगा और इसकी प्रतिभूति उपभोक्ता से वसूल होने वाली राशि के विरुद्ध तब तक नहीं किया जायगा जब तक कि उपभोक्ता कनेक्शन बन्द करने के लिये आवेदन नहीं करे, तब इस राशि को उपभोक्ता द्वारा इन नियमों के अधीन निर्धारित समस्त शुल्कों का भुगतान करने के पश्चात् लौटा दिया जायगा या विभाग द्वारा एसे शुल्कों को वसूल करने के समस्त प्रयत्न विफल होने की स्थिति में विभाग द्वारा शुल्कों के भुगतान और वसूल करने के खर्च के हिसाब में काम में ली जायगा।

39. कनेक्शन चालू करने या पुनः चालू करने संबंधी समस्त आवेदन, प्रपत्र डबल-4 में प्रस्तुत किये जायेंगे तथा जिसके साथ अग्रिम भुगतान की जाने वाली समस्त देय राशियों सहित कनेक्शन चालू करने की फीस के 10 रुपये होंगे।

40. (1) निम्नलिखित मामलों में विभाग के आदेश पर किसी भी कनेक्शन को काटा जा सकेगा:—

(क) पूर्वगामी नियमों के किसी प्रावधान का उल्लंघन करने पर;

(ख) जहां कनेक्शन में खराबी हो जाने से पानी बेकार बह रहा हो;

- (ग) जब कि स्वच्छता अधिकारी की राय में पानी के नल का उपयोग करने से भू-गृहादि ( Premises ) अस्वास्थ्यकारी होते हों;
- (घ) जब कि विभाग की राय में क्षेप्य-जल (Waste Water) के विसर्जन के लिये नाली का पर्याप्त प्रबंध न किया गया हो;
- (ङ) जब कि मीटर-कनेक्शन होने की स्थिति में, मीटर की मरम्मत करने की आवश्यकता हो;
- (च) जब कि मालिक या उपभोक्ता नियम 3(2) के अंतर्गत निर्धारित रोक प्रति-भूति देने से इन्कार कर दे ।

(2) नियम 40 (1) (क) तथा (च) के अधीन कनेक्शन काटा जाने पर, विभाग किसी भी मामले में, क्षतिपूर्ति के रूप में अधिक से अधिक 50 रुपये भुगतान करने की अपेक्षा करेगा, जिसका भुगतान कनेक्शन पुनः चालू किये जाने के पहिले किया जायगा ।

(3) किसी भी मामले में जब कि कनेक्शन नियम 40 (1) (ख), (ग), (घ) तथा (ङ) के अधीन काटा गया हो, फीस के 10 रुपये देने पर ही इसे पुनः चालू किया जायगा ।

41. सामान्य शक्तियाँ :—कनेक्शनों, बस्तियों, यथासंभव जनता की मांग पर तथा वर्ष में ऋतु के अनुसार, विभाग समय समय पर पानी के प्रदाय के घंटों को विनियमित तथा सीमित कर सकेगा ।

42. किसी दुर्घटना के कारण जैसे विद्युत् प्रदाय के विफल हो जाने पर मैनस के चूने या मैनस फट जाने पर या इन रुकावटों या ग्रील्म ऋतु में उसमें पानी का दबाव कम होने के कारण या मजदूरों द्वारा हड़ताल करने पर, पानी का प्रदाय न होने की जिम्मेदारी विभाग पर नहीं होगी विभाग को यह अधिकार है कि वह किसी भी समय तथा मरम्मत या नई लाइने आदि डालने के लिये आवश्यक किसी भी लम्बी अवधि के लिये पानी का प्रदाय बन्द करदे ।

#### नल लगाने का अनुज्ञा-पत्र

43. किसी भी डेकेडर या पाईप फिटिंग आदि का कार्य करने वाले किसी व्यापारी को नल लगाने का ( Plumbing ) अनुज्ञा-पत्र दिया जा सकेगा ।

44. संबंधित निष्पादन अभियन्ता को, ऐसे अनुज्ञा-पत्रों के लिये आवेदन-पत्र, भेजे जाने चाहिये, जो ऐसे आवेदनों का सत्यापन करेगा तथा इस प्रयोजन के लिये आवश्यक जरूरतों की जांच करेगा ।

45. नल लगाने का कार्य करने के लिये, फर्म या व्यापारी के पास अहं प्रविधित (ओवर-सियर या मिस्त्री) होना चाहिये, और उसे विभाग को इस संबंध में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना चाहिये ।

46. इस प्रयोजन के लिये आवेदक के पास, आवश्यक आजार तथा उपकरण, जैसे डिया ( Dies ) पाइप फिटिंग प्रकुंच (Fitting wrenches) आदि आवश्यक होने चाहिये ।

47. आवेदक को, आयकर शोधन प्रभाग-पत्र तथा उसकी द्वितीय स्थिति स्पष्ट करते हुए बैंक का प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना पड़ेगा।

48. अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदक को प्रथमवार अनुज्ञा-पत्र फीस के 75 रुपये देने पड़ेंगे। यह राशि निष्पादन अभियन्ता के कार्यालय में जमा कराई जायगी।

49. अनुज्ञा-पत्र को, प्रति वर्ष अग्रिम में स्वीकृत करवाना पड़ेगा तथा स्वीकरण शुल्क के लिये 15 अग्रिम तक 20 रुपये देने पड़ेंगे, और भुगतान न करने की दशा में, 10 रुपये प्रति माह की दर से शास्ति (Penalty) वसूल की जायगी। अगली अग्रिम से पहिले अनुज्ञा-पत्र को स्वीकृत न करवाने पर अनुज्ञा-पत्र रद्द किया गया समझा जायगा तथा अनुज्ञा-पत्र (License) की पूरी फीस जमा करके नया अनुज्ञा-पत्र लेना पड़ेगा।

50. अनुज्ञा-पत्र धारा, उसके द्वारा या उसकी एजन्सी के द्वारा किये गये कार्य के लिये जिम्मेदार होगा।

51. उसके या उसकी एजन्सी के द्वारा, उपभोक्ता या आवेदक को कोई परेशानी होने पर, उसका अनुज्ञा-पत्र रद्द कर दिया जा सकता।

52. कोई व्यक्ति जो इन नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है उसे विभाग द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति का भुगतान करना पड़ेगा।

क. एन. भागव,  
अतिरिक्त शासन सचिव।

### प्रपत्र 1

श्री।सर्व श्री ..... ने प्रतिभूति के बतौर .....  
रुपये जमा करा दिये हैं। देखिये रसीद संख्या ..... दिनांक .....  
तथा संख्या ..... दिनांक ..... अतः .....  
..... में स्थित सार्वजनिक नल संख्या ..... से  
..... में स्थित भकान संख्या ..... में लगे हुये बिना  
मीटर के पानी के कनेक्शन संख्या ..... से, रास्ता .....  
..... में स्थित भकान संख्या .....  
में निर्माण। पुनर्निर्माण के लिये पानी लेने की अनुमति दी जाती है।

अनुमति-पत्र ( Permit ) की अवधि

प्रेषक .....

प्रेषित .....

निष्पादन अभियन्ता,  
जलदाय विभाग,



## प्रपत्र ज-2

निष्पादन अभियन्ता,  
जल दाय-गृह,  
.....

महोदय,

निवेदन है कि मैं क्षेत्र ..... रास्ता ..... में  
मकान संख्या ..... में लगे हुए मेरे बिना मोटर के पानी के कनेक्शन संख्या-  
..... के पास स्थित सावजनिक नल सं. .... से .....  
मकान संख्या ..... में निर्माण। पुनर्निर्माण के लिये पानी लेना चाहता हूँ।

निमित्त। पुनर्निमित्त किये जाने वाले मकान का नक्शा संलग्न है। बनाये गये।  
पुनः बनाये जाने वाले भागों को लाल रंग में बतलाया गया है।

निमित्त। पुनर्निमित्त किये जाने वाले मकान की घन परिमा (Cubical contents  
..... घनफिट है।

प्रतिभूति के बतौर कार्यालय में ..... रु. जमा करा दिये गये हैं देखिये  
रसीद संख्या ..... दिनांक ..... तथा अतिरिक्त  
प्रतिभूति, विभाग द्वारा मांगी जाने पर जमा करवा दी जायगी।

मेरे द्वारा पानी का उपयोग ..... से ..... तक  
किया जायगा। यदि इस तारीख के बाद भी मुझे पानी की आवश्यकता हुई तो मैं, विभाग  
को आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके अग्रिम स्वीकृति प्राप्त कर लूंगा।

मैं, जल शुल्कों का भुगतान, विभाग से बिल प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर, जलदाय  
विभाग द्वारा समय समय पर निश्चित की जाने वाली दरों के अनुसार करने के लिये सहमत हूँ।

भवदीय,

हस्ताक्षर .....

पता .....

दिनांक .....

(सहायक अभियन्ता द्वारा भरे जाने के लिये)

1. जल शुल्कों के निर्धारण के लिये नक्शे के अनुसार निमित्त। पुनर्निमित्त किये जाने  
वाले मकान की घनपरिमा, ..... घनफिट है।

2. मीटर उपलब्ध नहीं है तब आवेदक द्वारा ..... रुपये देने पर  
उपलब्ध कराया जायगा।

3. मीटर उपलब्ध नहीं है, मकान की घन-परिमा के आधार पर, शुल्क ले लिये जाय।

4. निर्माण कार्य को पूरा करने के लिये अशिक्षित श्रमिकों का अनुमोदन कर दिया गया है / अनुमोदन नहीं किया गया है। यह फंडल ..... तक होना चाहिये।

(लागू न होने वाले खंड को काट दिया जाय)

सहायक अभियन्ता।

(निष्पादन अभियन्ता के कार्यालय में भरे जाने के लिये)

1. मोटर उपलब्ध कराने के लिये आवेदक को ..... रुपये जमा करने के लिये कहा जाय।
2. धन-परिमा के आधार पर परिगणित जल शुल्कों के लिये अनुमानित मांग ..... है।
3. .... रुपये की अतिरिक्त प्रतिभूति मांग ली जाय।

हस्ताक्षरित गृह अधीक्षक  
(निष्पादन अभियन्ता के आदेश)

प्रेषिती,  
निष्पादन अभियन्ता,  
जलदाय गृह,  
.....

मैंने श्री ..... के मकान / भू-गृहादि में या श्री ..... द्वारा किराये पर लिये गये मकान / भू-गृहादि में अधिष्ठापन कार्य पूरा कर दिया है तथा इसके नीचे बतलाये अनुसार राशि भेज रहा हूँ।

अनुमानित राशि	रुपये .....
कनेक्शन फीस	रुपये .....
प्रतिभूति	रुपये .....

उपरोक्त भू-गृहादि में किये गये अधिष्ठापन कार्य का विवरण निम्न प्रकार है:—

टॉपियां ( Taps ) संख्या  
शावरस ( Showers ) संख्या  
..... संख्या

कनेक्शन के लिये कृपया आवश्यक आदेश जारी करें।

नलकार के हस्ताक्षर

पता .....

प्रपत्र ज-4

प्रेषिती,

निष्पादन अभियन्ता,  
जलदाय गृह,  
.....

महोदय,

मैं इसके द्वारा, बाड संख्या ..... रास्ता ..... में स्थित श्री ..... के मकान संख्या ..... में कनेक्शन संख्या ..... के लिये खोल देने के लिये आवेदन करता हूँ ।

पानी के उक्त प्रदाय के लिये, मैं, इस समय प्रभावशील या जलदाय विभाग द्वारा समय समय पर परिवर्तित की जाने वाली दरों के अनुसार भुगतान करने का बचन देता हूँ ।

कनेक्शन मेरे नाम रहने तक मैं जल शुल्कों का अग्रिम रूप में भुगतान करने को भी सहमत हूँ तथा भू-गृहादि को छोड़ने से पूर्व मैं विभाग को कनेक्शन काट देने के लिये सूचना (Notice) दूंगा ।

मैं जलप्रदाय नियमों के प्रावधानों का पालन करने को भी सहमत हूँ ।

भवदीय,

आवेदक के हस्ताक्षर, .....  
पता .....  
पुत्र ..... जाति .....

दिनांक .....

(लेखाकार द्वारा भरे जाने के लिये)

रसीद संख्या ..... दिनांक ..... के द्वारा ..... को समाप्त होने वाले महीनों के लिये शुल्कों की अग्रिम राशि ..... ह. आकलित की गई ।

लेखाकार

निष्पादन अभियन्ता के आदेश कनेक्शन खोल दिया जाय

दिनांक .....

निष्पादन अभियन्ता

आदेश सं. .... कनेक्शन संख्या ..... को खोलने के लिये ।

जारी करने की तारीख .....

## (5) मीटर जहां आवश्यक हों:--

मीटर को यथासंभव स्टाप काक में नजदीक ऐसी स्थिति में लगाया जायगा जहां जाकर उसकी आसानी से जांच की जा सके। जब तक ईंट की दीवार न हो, कोई मीटर भूमि के नीचे नहीं लगाया जायगा। सहायक अभियन्ता की स्वीकृति के बिना किसी भी मीटर को सर्विस पाइप से अलग नहीं किया जायगा और न किसी भी प्रकार उसे छोड़ा जायगा।

मीटर के ताला लगाने की व्यवस्था आवश्यक की जाती है तथा चाभी सहायक अभियन्ता के नियन्त्रण में रखी जायगी। सहायक अभियन्ता साल में कम से कम एक बार मीटर की जांच करवायेगा और प्रत्येक बार यह प्रमाण-पत्र भरेगा कि मीटर की जांच करली गई है।

(6) सिवाय ऐसी स्थिति में जब कि अधिक मात्रा में जल लेने के लिये कनेक्शन लिया जाय, फंरूल, अन्दर के पाइप तथा जल की टोंटियों का परिमाण केवल निम्नलिखित सापेक्ष साईज का होगा जब कि पानी का कनेक्शन अधिक मात्रा में पानी का प्रदाय करने हेतु लिया गया हो।

फंरूल का व्यास	मकान के अन्दर पाइपों का व्यास		टोंटियों या स्टाप काक (stop cock) की साईज
	नीचे की मंजिल	ऊपर की मंजिल	
इंच	इंच	इंच	इंच
..	..	..	..
..	..	..	..
..	..	..	..

(7) जल प्रदाय उपनियमों के नियम 40 (1) (क), (ग), (घ) तथा (ङ) में प्रावहित मामलों में निष्पादन अभियन्ता के आदेश से

(2) नियम 25(1), (ख), (घ), (ङ) में प्रावहित मामलों में सहायक अभियन्ता के आदेश से,

कनेक्शन काटा जा सकेगा।

प्रपत्र ज-4

प्रेमिती,

निष्पादन अभियन्ता,  
जलदाय गृह,  
.....

महोदय,

मैं इसके द्वारा, बाई संख्या ..... टास्ता ..... में स्थित  
श्री ..... के भूकान संख्या ..... में कनेक्शन संख्या .....  
के लिये खोल देने के लिये आवेदन करता हूँ ।

पानी के उक्त प्रदाय के लिये, मैं, इस समय प्रभावशील या जलदाय विभाग द्वारा समय समय  
पर परिवर्तित की जाने वाली दरों के अनुसार भुगतान करने का वचन देता हूँ ।

कनेक्शन मेरे नाम रहने तक मैं जल शुल्कों का अप्रिम रूप में भुगतान करने को भी सहमत  
हूँ तथा भू-गृहादि को छोड़ने से पूर्व मैं विभाग को कनेक्शन काट देने के लिये सूचना (Notice)  
दूंगा ।

मैं जलप्रदाय नियमों के प्रावधानों का पालन करने को भी सहमत हूँ ।

भवदीय,

आवेदक के हस्ताक्षर, .....  
पता .....  
पुत्र ..... जाति .....

दिनांक .....

(लेखाकार द्वारा भरे जाने के लिये)

रसीद संख्या ..... दिनांक ..... के द्वारा .....  
को समाप्त होने वाले महीनों के लिये शुल्कों की अप्रिम राशि ..... ह.  
आकलित की गई ।

लेखाकार

निष्पादन अभियन्ता के आदेश कनेक्शन खोल दिया जाय

दिनांक .....

निष्पादन अभियन्ता

आदेश सं. .... कनेक्शन संख्या ..... को खोलने के लिये ।

जारी करने की तारीख .....

प्रपत्र कापानी के कनेक्शन के लिये आवेदन-पत्र का प्रपत्र

प्रेषक, .....

(पूरा नाम)

.....

..... (पूरा पता)

प्रेषिती,

सहायक । निष्पादन अभियन्ता,

जलवाय गृह,

प्रिय महोदय,

मैं निवेदन करता हूँ कि मेरे भू-गृहादि में पानी का कनेक्शन लगा दिया जाय, पूरे विवरण इस प्रकार हैं:—

- (क) भू-गृहादि का स्थान
- (ख) कनेक्शन का प्रयोजन
- (ग) पाइप कनेक्शन की परिमाण (साईज)

मैं, जल प्रवाय के संबंध में, समय समय पर प्रभावशील समस्त नियमों तथा विनियमों का पालन करने के लिये सहमत हूँ ।

मैं आगे यह भी प्रमाणित करता हूँ कि मैं उपर्युक्त भू-गृहादि का मालिक हूँ तथा यदि आवश्यक हुआ तो मैं मांगे जाने पर आवश्यक दस्तावेजों को सत्यापन के लिये प्रस्तुत कर दूँगा ।

भवदीय,

हस्ताक्षर .....

पता .....

.....

दिनांक .....

अनुभाग-पत्र

अनुज्ञापत्रधारी नलकार का नाम .....  
 सर्विस संख्या ..... मीटर संख्या ..... परिमाण .....  
 निर्माता (make) .....

अनुमान संख्या ..... दिनांक .....

योग रुपये .....

क्षेप्य जल के विसर्जन के लिये नाली का प्रबन्ध कर दिया गया है।

ओवरसियर

आवेदन-पत्र का अनुमोदन

सहायक अभियन्ता

निक्षेप के विषय स्वीकृत

आकलन संख्या ..... के अनुसार जमा की गई राशि।

..... दिनांक .....

निष्पादन अभियन्ता

ड्रान (Drawn)

कनैक्शन संख्या .....

दिनांक ..... को, दिया गया

सहायक अभियन्ता

नत्बी करिये

निष्पादन अभियन्ता

नल लगाने के संबंध में अनुज्ञा-पत्र ( Plumbing Licence ) के लिये आवेदन-पत्र

प्रेषिती

निष्पादन अभियन्ता,

जलदाय विभाग।

महोदय,

आपके प्रशासकीय नियन्त्रण के अन्तर्गत मुझे। हृगको समस्त राजस्थान में घरों में नल लगाने का कार्य करने हेतु अनुज्ञा-पत्र प्रदान करने के लिये मैं। हम आपसे निवेदन करता हूं। करते हैं।

मैं। हम ..... में स्थित दुकान का मालिक हूं। हूं तथा नल लगाने आदि का कार्य करता हूं। करते हूं।

मेरे। हमारे पास इस प्रयोजन के लिये आवश्यक समस्त यंत्र तथा उपकरण हैं और इनका निरीक्षण हर समय किया जा सकता है। मेरे। हमारे पास इस प्रयोजन के लिये अर्हता प्राप्त प्रविधिज्ञ श्री..... जो हमारी सेवा में हैं, के तकनीकी पर्यवेक्षण के अधीन आवश्यक कर्मचारी हैं।

निम्नलिखित प्रलेख संलान किये गये हैं:—

1. आयकर शोधन प्रमाण-पत्र
2. वित्तीय स्थित के बारे में बैंक का प्रमाण-पत्र
3. प्रविधिज्ञ ( Technician ) का प्रमाण-पत्र

मैं समस्त नियमों तथा विनियमों का पालन करूंगा।

भवदीय,

हस्ताक्षर .....

पता .....

.....  
.....

दिनांक .....

निरीक्षण के पश्चात् सहायक अभियन्ता का प्रतिवेदन

सहायक अभियन्ता

निष्पादन अभियन्ता की सिफारिश

स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी का अनुमोदन

निष्पादन अभियन्ता

आकलन संख्या..... दिनांक..... के द्वारा अनुज्ञा-पत्र का शुल्क जमा कराया गया

सजान्ची

समस्त संबंधित व्यक्ति नोट कर लें।

निष्पादन अभियन्ता

दिनांक .....

परिशिष्ट-2

जल प्रदाय विनियम

किसी निजी कनेक्शन के लगाने, उसमें परिवर्तन करने, उसका विस्तार करने या उसकी मरम्मत से संबंधित समस्त कार्य, सहायक अभियन्ता के परीक्षण के अधीन रहते हुए, ऐसे व्यक्ति